an>

Title: Need for better arrangements for disposal of solid waste and use the same for production of bio-fertilizer.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): आदरणीय उपाध्यक्ष जी, नगर निकायों में स्वच्छ पर्यावरण निर्माण करने में एक बड़ी बाधा दुग्ध डेरियों द्वारा गोबर का समुचित निस्तारण न किया जाना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस विषय में चिन्ता प्रकट करते हुए डेरियों को नगरीय सीमा से बाहर किये जाने के आदेश दिये हैं, परन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अभी तक इन आदेशों का पालन सम्भव नहीं हुआ है। वर्तमान में डेरियों में उत्पन्न गोबर का निस्तारण या तो उपले बनाने में होता है अथवा नालियों में उसे बहा दिया जाता है। परिणामस्वरूप प्रदूषण फैलता है तथा नालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। नगर निकायों द्वारा प्रत्येक घर से कूड़ा (सोलिड वेस्ट) एकत्र करने की योजनाएं बनाई गई हैं। अनेक स्थानों पर कूड़ा निस्तारण के विभिन्न प्रोजैक्ट्स कार्य भी कर रहे हैं, परन्तु गोबर को सोलिड वेस्ट नहीं मानने के कारण उसके निस्तारण की कोई योजना नहीं बनाई गई है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में नगर निकायों द्वारा प्रत्येक डेरी से निश्चित शुल्क लेकर गोबर उठवाने तथा उसे निश्चित स्थान पर एकत्र करके जैविक खाद बनाने की व्यवस्था करने के निर्देश देने का कष्ट करे। इस प्रकार निर्मित जैविक खाद की खेती के कार्य के लिए बिक्री की जा सकती है। इससे जहां नगरों, महानगरों में पर्यावरण शुद्ध होगा, खेती के लिए जैविक खाद की उपलब्धता बढ़ेगी, वहीं नगरीय निकायों की आय में भी वृद्धि होगी।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Shri Gajendra Singh Shekhawat,

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Kumwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Rajendra Agrawal.